26 11/15 अनुलाभ उपस्थित प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकृत
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा
जाकर शामिल पत्रा. किया गया। पत्रावली नम्बर से
क्रमशःवार बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक 26-11-14
76 / 2014	09.05.2014	

उनवान

1. सुबेसिंह
2. जयसिंह पुत्रान प्रभू
3. सुमत पुत्री प्रभू जाति अहीरान निवासीयान ग्राम जमालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:— प्रार्थीगण / वादीगण

1. अनिता पत्नी जवानसिंह
2. जवानसिंह पुत्र रोहताश जाति राजपूत निवासी ग्राम करौली तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
3. महेन्द्र
4. सुरेन्द्र
5. बिरेन्द्र पुत्रान समयसिंह जाति अहीर ग्राम खिजूरीबास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
6. शम्भूदयाल पुत्र जगदीश
7. बंशीलाल पुत्र जगदीश
8. कृष्णकुमार पुत्र जगदीश जाति अहीरान निवासीयान ग्राम जमालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
9. तेजराम पुत्र भरतसिंह जाति अहीर ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम
10. बलवन्त पुत्र कन्हैया जाति अहीर ग्राम जमालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
11. एस.बी.बी.जे. शाखा कोटकासिम जर्ये शाखा प्रबंधक कोटकासिम
12. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम जर्ये शाखा प्रबंधक कोटकासिम
13. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:— प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी मय हुक्मईम्तनाईदवामी

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1, 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थितः
1. श्री रामफल यादव अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री आनन्दराव अभिभाषक, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस प्रकार पेश किया है कि वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजो से प्रार्थीगण का केस प्राईमाफेसाई आयद व साबित होता है। विवादित आराजीयात मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की है। जिस पर पक्षकारान सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 2 में मिन प्रार्थीगण का 1/2 भाग, विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 1 में मिन प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा, विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 143 में मिन प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा, विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 80 में मिन प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। जिन पर मिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 के साथ सामलात में काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। अबट आराजी है। अप्रार्थीगण आये रोज मिन प्रार्थीगण के सामलाती हिस्सों के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है। फसल बोने, दरों करने में रूकावट पैदा करते है। मिन प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से दिनांक 25.04.2014 को विवादित आराजीयात का तकासमा कर अलग खाता कायम करवाने हेतु निवेदन किया तो वो साफ इंकार हो गये और मिन प्रार्थीगण को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि हम आराजी विवादित को बिना बटाये ही दीगर लोगो को बेचान करेगें और निर्माण कार्य करेगे और तुम्हे काश्त नहीं करने देगे और तुम्हें जबरन बेदखल कर अपना कब्जा करेगे। यदि प्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी अधिकारों की आराजी से वंचित होना

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपये पैसो में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाईदवामी चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थीगण हे। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाईदवामी चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल ख0 नम्बरान 521/0.91, 256/0.26, 376/0.30, 377/0.16, 60/0.18, 92/0.94, 93/0.29, 221/0.28, 348/0.04, 349/0.62, 356/0.33, 364/0.19, 401/0.22, 433/0.40, 486/0.17, 490/0.20, 491/0.39, 495/0.19, 496/0.16, 522/0.34 हैक्ट0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) का जब तक रिकॉर्डेड तकासमा ना हो जाये तब तक कहीं दीगर जगह रहन–बय हिबालीज इत्यादि द्वार मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थीगण के सामलाती हिस्सों के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जबरन बेदखल करे, ना कब्जा करे, ना निर्माण कार्य करे, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब का अवसर दिया गया।

अप्रार्थीगण 2, 4 से 10 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णन किया कि प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर वादपत्र, शपथपत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थीगण का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं होता है। विवादित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में मिन अप्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण तथा प्रार्थीगण के नाम सामलाती खातेदारी की दर्ज है। परन्तु विवादित आराजीयात अरसे दराज पूर्व से ही बाहमी रूप से विभाजित है। बाहमी बंटवारा के अनुसार ही मिन अप्रार्थीगण जमाबंदी में दर्ज अपने हक हिस्से अनुसार काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात पक्षकारान के मध्य पूर्व से बाहमी रूप से विभाजित है। बाहमी बंटवारा के अनुसार ही मिन अप्रार्थीगण बाहमी बंटवारा में आई हुई आराजीयात पर अपने जमाबंदी में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मिन अप्रार्थीगणों द्वारा मजामहत व मदालखत पैदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। समस्त कहानी प्रार्थीगण ने नितान्त झूंठी जिमन में दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

की है व ना ही मिन अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात का बेचान कर रहे है। विवादित आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सिर्फ मिन अप्रार्थीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से वादीगण बार–बार अदालत श्रीमान में विवादित आराजीयात की बाबत वादपत्र पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त करते रहते है और बार–बार ही अदालत श्रीमान से अपने वादपत्र को विड्रो करा लेते है। वाद विड्रो कराने के बाद पुनः विवादित आराजीयात बाबत अदालत श्रीमान में अदालत श्रीमान से वादपत्र पुनः पेश करने की इजाजत लिए बिना ही वादपत्र दायर कर मिन अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर मिन अप्रार्थीगण को नाजायज तंग व परेशान करते रहते है व दीगर मुकमाबाजी में फंसाकर बरबाद कर रहे है। विवादित आराजी ख0 नं0 92 की बाबत प्रार्थीगणों ने वादपत्र बअनुवान सुबेसिंह बनाम शिम्भूदयाल आदि का न्यायालय श्रीमान में पेश किया जो वाद दिनांक 23.11.11 को खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां विचाराधीन है इसी प्रकार विवादित आराजीयात बाबत प्रार्थीगण/वादीगणों ने न्यायालय श्रीमान में ही बअनुवान सुबेसिंह बनाम शिम्भूदयाल आदि के नाम से दायर किया जो वाद स्थानान्तरित होकर न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कोटकासिम में विचाराधीन था और प्रार्थीगणो ने स्थगन आदेश एक पक्षीय मिन अप्रार्थीगण/ प्रतिवादी के विरूद्ध प्राप्त किया हुआ था लेकिन उक्त वाद भी प्रार्थीगणों/वादीगणो ने दिनांक 07.11.2013 को विड्रो बगैर अन्य दावा दायर करने की अनुमति से कर लिया। अब मौजूदा वाद सुबेसिंह आदि बनाम अनिता आदि के नाम से विवादित आराजीयात बाबत वादीगणो/प्रार्थीगणो ने पुनः न्यायालय श्रीमान में दावा पेश करने की अनुमति लिये बिना ही व न्यायालय श्रीमान को गुमराह करते हुये अदालत श्रीमान में दायर कर अदालत श्रीमान से एक पक्षीय स्थगन आदेश अप्रार्थीगण/प्रतिवादी के विरूद्ध प्राप्त किये हुये है। इन सब बातों से स्पष्ट बखूबी होता है कि प्रार्थीगण/वादीगण एक चालाक किस्म के व्यक्ति है एवं आदतन पेशेवर मुकदमेबाज है जो मिन अप्रार्थीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से व दीगर मुकदमाबाजी में फंसाकर बरबादर करने की नियत से बार–बार अदालत श्रीमान में मिन अप्रार्थीगणो के विरूद्ध वादपत्र पेश कर स्थगन आदेश एक पक्षीय प्राप्त करते रहते है। दिनांक 25.04.2014 की समस्त कहानी प्रार्थीगणो ने नितान्त झूंठी मिथ्या व बनावटी दर्ज की हुई है। जिसमें रत्तिभर भी सच्चाई नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण को कोई नापूर्ति होने वाली क्षति नहीं होती है। और ना ही प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थीगण है। अतः प्रार्थना गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजो से प्रार्थीगण का केस प्राईमाफेसाई आयद व साबित होता है। विवादित आराजीयात मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की है। जिस पर पक्षकारान सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 2 में मिन प्रार्थीगण का 1/2 भाग, विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 1 में मिन प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा, विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 143 में मिन प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा, विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 80 में मिन प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। जिन पर मिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 10 के साथ सामलात में काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। अबट आराजी है। अप्रार्थीगण आये रोज मिन प्रार्थीगण के सामलाती हिस्सों के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है। फसल बोने, दरों करने में रूकावट पैदा करते है। मिन प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से दिनांक 25.04.2014 को विवादित आराजीयात का तकासमा कर अलग खाता कायम करवाने हेतु निवेदन किया तो वो साफ इंकार हो गये ओर मिन प्रार्थीगण को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि हम आराजी विवादित को बिना बटाये ही दीगर लोगो को बेचान करेगें और निर्माण कार्य करेगे और तुम्हे काश्त नहीं करने देगे और तुम्हें जबरन बेदखल कर अपना कब्जा करेगे। यदि प्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी अधिकारों की आराजी से वंचित होना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपये पैसो में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाईदवामी चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थीगण हे। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाईदवामी चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल ख0 नम्बरान 521/0.91, 256/0.26, 376/0.30, 377/0.16, 60/0.18, 92/0.94, 93/0.29, 221/0.28, 348/0.04, 349/0.62, 356/0.33, 364/0.19, 401/0.22, 433/0.40, 486/0.17, 490/0.20, 491/0.39, 495/0.19, 496/0.16, 522/0.34 हैक्ट0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) का जब तक रिकॉर्डेड तकासमा ना हो जाये तब तक कहीं दीगर जगह रहन–बय हिबालीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थीगण के सामलाती हिस्सों के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जबरन बेदखल करे, ना कब्जा करे, ना निर्माण कार्य करे, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओ पर प्रकाश डालते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर वादपत्र, शपथपत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थीगण का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं होता है। विवादित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण तथा प्रार्थीगण के नाम सामलाती खातेदारी की दर्ज है। परन्तु विवादित आराजीयात अरसे दराज पूर्व से ही बाहमी रूप से विभाजित है। बाहमी बंटवारा के अनुसार ही अप्रार्थीगण जमाबंदी में दर्ज अपने हक हिस्से अनुसार काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। तो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगणों द्वारा मजामहत व मदालखत पैदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। समस्त कहानी प्रार्थीगण ने नितान्त झूंठी दर्ज प्रा0पत्र में दर्ज की है तथा ना ही अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात का बेचान कर रहे है। विवादित आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सिर्फ अप्रार्थीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से वादीगण बार–बार अदालत श्रीमान में विवादित आराजीयात की बाबत वादपत्र पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त करते रहते है। बार–बार ही अदालत श्रीमान से अपने वादपत्र को विड्रो करा लेते है। विड्रो कराने के बाद पुनः विवादित आराजीयात बाबत अदालत श्रीमान में अदालत

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

श्रीमान से वादपत्र पुनः पेश करने की इजाजत लिए बिना ही अदालत श्रीमान में वादपत्र दायर कर मिन अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर अप्रार्थीगण को नाजायज तंग व परेशान करते रहते है व दीगर मुकमाबाजी में फंसाकर बरबाद कर रहे है। विवादित आराजी ख0 नं0 92 की बाबत प्रार्थीगणों ने वादपत्र बअनुवान सुबेसिंह बनाम शिम्भूदयाल आदि का न्यायालय श्रीमान में पेश किया जो वाद दिनांक 23.11.2011 को खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां विचाराधीन है इसी प्रकार विवादित आराजीयात बाबत प्रार्थीगण/वादीगणों ने न्यायालय श्रीमान में ही बअनुवान सुबेसिंह बनाम शिम्भूदयाल आदि के नाम से दायर किया जो वाद स्थानान्तरित होकर न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कोटकासिम में विचाराधीन था और प्रार्थीगणो ने स्थगन आदेश एक पक्षीय अप्रार्थीगण/ प्रतिवादी के विरूद्ध प्राप्त किया हुआ था लेकिन उक्त वाद भी प्रार्थीगणों/वादीगणो ने दिनांक 07.11.2013 को विड्रो बगैर अन्य दावा दायर करने की अनुमति से कर लिया। अब मौजूदा वाद सुबेसिंह आदि बनाम अनिता आदि के नाम से विवादित आराजीयात बाबत वादीगणो/प्रार्थीगणो ने पुनः न्यायालय श्रीमान में दावा पेश करने की अनुमति लिये बिना ही व न्यायालय श्रीमान को गुमराह करते हुये अदालत श्रीमान में दायर कर अदालत श्रीमान से एक पक्षीय स्थगन आदेश मिन अप्रार्थीगण/प्रतिवादी के विरूद्ध प्राप्त किये हुये है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/वादीगण एक चालाक किस्म के व्यक्ति है एवं आदतन पेशेवर मुकदमेबाज है जो अप्रार्थीगण को ना जायज तंग व परेशान करने की नियत से व दीगर मुकदमाबाजी में फंसाकर बरबाद करने की नियत से बार–बार अदालत श्रीमान में अप्रार्थीगणो के विरूद्ध वादपत्र पेश कर स्थगन आदेश एक पक्षीय प्राप्त करते रहते है। दिनांक 25.04.2014 की समस्त कहानी प्रार्थीगणो ने नितान्त झूंठी मिथ्या व बनावटी दर्ज की हुई है। जिसमें रत्तिभर भी सच्चाई नहीं है। प्रार्थीगण को कोई नापूर्ति होने वाली क्षति नहीं होती है। और ना ही प्रार्थीगण अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थीगण है। अतः प्रार्थना प्राथीगण गलत है, अस्वीकार है। प्रा0पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण वकील ने अपने पक्ष में नजीरे आर.आर.डी 2008 पेज 762 से 765 आर.आर. डी 2004 पेज 112 से 113 पेश की।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण रिकार्डेड सह खातेदार काश्तकार दर्ज है। पक्षकारान विवादित आराजी सामलात में काबिज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है। मैं अप्रार्थीगण के न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतया सहमत हूँ। संयुक्त खाते की भूमि में समस्त अंशधारी सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक हिस्से पर काबिज होते है। उनमें से किसी एक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। अतः प्राईमाफेसाई आयद वो साबित अपूरणीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1, 2 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत विवादित आराजीयात हाल ख0 नम्बरान 521/0.91, 256/0.26, 376/0.30, 377/0.16, 60/0.18, 92/0.94, 93/0.29, 221/0.28, 348/0.04, 349/0.62, 356/0.33, 364/0.19, 401/0.22, 433/0.40, 486/0.17, 490/0.20, 491/0.39, 495/0.19, 496/0.16, 522/0.34 हैक्ट0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-11-14 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner